भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

प्रकृतिः रक्षति रक्षिता

Nature Protects if She is Protected

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025

Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी / यू.पी. / 04 / 87 / 2014 / एफ.सी. /166 दिनॉकः 01/7/16

सेवा में,

नोडल अधिकारी, एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण)
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : पॉवर ग्रिड कार्पो आफॅ इण्डिया लि0 द्वारा प्रस्तावित एक्सटेंशन आफॅ 400 के0वी0 डी0सी0 (क्वाड) बिहार शरीफ सासाराम से वाराणसी पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वाराणसी वन प्रभाग की 0.1288 हे0 संरक्षित वन भूमि, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी की 0.2852 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं मिर्जापुर वन प्रभाग की 0.115 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 0.529 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल प्रभावित वृक्ष (कमशः 0+25+68)=93 के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ : नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या–2458 / 11–सी–39, दिनॉक– 20.05.2016

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या–1018 / 11–सी–39, दिनॉक– 09.12.2014 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

उपरोक्त 03 वन प्रभागों के प्रस्तावों को समेकित किया गया है जिसका सारांश निम्नवत् हैः –

कम संख्या	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम	प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि (हे0 में)	प्रभावित वृक्षों की संख्या
1	मिर्जापुर	मिर्जापुर वन प्रभाग	0.1150 हे0	68
2	चन्दौली	काशी वन्य जीव प्रभाग	0.2852 हे0	25
3	वराणसी	वाराणसी वन प्रभाग	0.1288 हे0	–
योग			**0.529 हे0**	**93**

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 17.09.2015 द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार पॉवर ग्रिड कार्पो आफॅ इण्डिया लि0 द्वारा प्रस्तावित एक्सटेंशन आफॅ 400 के0वी0 डी0सी0 (क्वाड) बिहार शरीफ सासाराम से वाराणसी पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वाराणसी वन प्रभाग की 0.1288 हे0 संरक्षित वन भूमि, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी की 0.2852 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं मिर्जापुर वन प्रभाग की 0.115 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 0.529 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल प्रभावित वृक्ष (कमशः 0+25+68)=93 के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वृक्षों के एवज में 1001 वृक्षों के वृक्षारोपण (समेकित क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्ताव के अनुसार) एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। यह वृक्षारोपण विधिवत् स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
3. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

1/7/16

4. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
5. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
6. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
9. प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
12. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पो0 आफ इण्डिया लि0, उत्तरी क्षेत्र–1, एस/108, सी–6, प्रशान्तपुरी, डी0आई0जी0 कालोनी, मकबूल आलम रोड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
7. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश पत्रावली ।

1/7/16

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)